7.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी पी सी पर बहस अंतिम प्रार्थी अभिभाषक एवं अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 15 की सुनी जा चुकी है। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण अभिभाषक द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को बहस में दोहराया गया।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 47/2025 अत्यधिक मृत खातेदारों के विरूद्व पेश किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी जानबुझकर मृत पक्षकारो के वारिसान को पक्षकार नही बनाना चाहता है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए में संबंधित सभी खातेदारो को प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार सयोजित कर उनको रास्ते के बदले में प्रतिफल मय साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नया रास्ता कायम करने का प्रावधान है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी लाभ सिह पुत्र मेवा सिह की और से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी तर्क संगत प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टतया अस्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र संख्या 47/2025 लाभ सिह बनाम कर्मजीतकौर वगैरा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी नवीन तथ्यो को शामिल करते हुए नया प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दप्तर हो

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner